

**कार्यवृत्त**  
**गुरुवार, 04 आश्विन, शक संवत्, 1940**  
**( दिनांक : 20 सितम्बर, 2018 )**

खण्ड-51  
अंक-3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य मा० सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था संबंधी नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें। वे इस सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

मा० सदस्य खजान दास ने कहा कि उनका शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न लगातार तीन बार से स्थगित हो रहा है। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय विधान सभा सचिवालय से संबंधित है। इस संबंध में परम्परानुसार सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। इस विषय में वे किसी भी समय उनके कक्ष में आकर वार्ता कर लें। तदनुसार इसका समाधान कर लिया जायेगा।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री मनोज रावत ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि रेसकोर्स, देहरादून स्थित एम०एल०ए० ट्रांजिट हॉस्टल में सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएँ अत्यधिक दयनीय स्थिति में हैं। संबंधित व्यवस्थाधिकारी को इस संबंध में बार-बार अवगत कराये जाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियमतः व्यवस्था के प्रश्न सदन के संचालन के संबंध में ही उठाये जा सकते हैं। तथापि मा० सदस्यों से जुड़ा यह विषय अत्यन्त गम्भीर है। इसे प्राथमिकता के आधार पर दिखवा लिया जायेगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय का निरीक्षण करा लिया जाये।

मा० सदस्य, श्री चन्दन राम दास ने उनके द्वारा कल दिनांक 19.09.2018 को नियम-53 के अन्तर्गत प्रस्तुत गुलदार द्वारा बच्चों को शिकार बनाने से संबंधित सूचना पर बल देते हुए शीघ्र इस समस्या के समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा० सदस्य नियम-53 की मद लिए जाने के समय इस पर बल दे दें।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत 31 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनाएँ स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित मा० सदस्यों द्वारा उनके नाम के सम्मुख लिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु पढ़ी गयी—

श्री राजकुमार टुकराल                      रूद्रपुर जिले में राजकीय उद्यान फार्म व 31वीं वाहिनी पी०एस०सी० के मध्य स्थित सड़क सम्पर्क मार्ग पुनः खुलवाने के सम्बन्ध में।

श्री उमेश शर्मा काऊ                      जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रायपुर में अपूर्ण पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त न होने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में।

श्री मुन्ना सिंह चौहान                      प्रदेश में पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक से निम्न रैंक के कार्मिकों को वर्दी किट के स्थान पर उपनिरीक्षक एवं उससे ऊपर के रैंक वाले कार्मिकों की भांति वर्दी भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

**(पढ़ी हुई मानी गई।)**

हाजी फुरकान अहमद                      जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत भूरना, विकासखण्ड लक्सर में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नलकूप आपरेटर

	के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त हुए आपरेटरों को एक नियत मानदेय पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अर्न्तगत श्री गुरु राम राय इन्टर कालेज, सहसपुर तथा श्री गुरु राम राय इन्टर कालेज, भाऊवाला में इन्टर स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्यापक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। <b>(पढ़ी हुई मानी गई।)</b>
श्री आदेश चौहान	जनपद हरिद्वार के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी०एच०ई०एल में नगर पालिका शिवालिक नगर व रावली महदूद के मध्य बहने वाले नाले पर अतिक्रमण के कारण जलभराव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री केदार सिंह रावत	घोषणा किये जाने के बाद भी यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत तथा डीडीहाट को जिला न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्यमंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के "31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन" (संख्या-1 वर्ष 2018) को सदन के पटल पर रखा।

सभापति, प्राक्कलन समिति ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्राक्कलन समिति वर्ष 2009-10 द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2011 को विधान सभा में ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों पर ऊर्जा विभाग से प्राप्त कार्यान्वयन आख्या (ए०टी०आर०) का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

उपाध्यक्ष, याचिका समिति ने उत्तराखण्ड विधान सभा की याचिका समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम धर्मपुर में मेन रोड तक पी०सी० सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री लोकेश कोठारी पुत्र श्री हरपाल ग्राम धर्मपुर पो० इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम धर्मपुर गांव में रामस्वरूप के खेत से मुख्य मार्ग तक पी० सी० सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री पवन पुत्र श्री सीताराम ग्राम धर्मपुर पो० इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम इकबालपुर तांशीपुर मार्ग से धर्मपुर पाडली गेंदा कमेलपुर सलेमपुर लिंक रोड का निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सौरभ पुत्र श्री चरण सिंह ग्राम तांशीपुर पो० इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कमेलपुर ग्राम में शिवमंदिर व भूमिया खेड़ा का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री आनन्द कुमार

पुत्र श्री कलीराम ग्राम कलेमपुर पो० सलेमपुर राजपुताना, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कमेलेपुर से बन्दाखेडी तक पी० सी० रोड के सम्बन्ध में” श्री देवेन्द्र पुत्र श्री जगदीश ग्राम कमेलेपुर पो० सलेमपुर राजपुताना, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कुमराडी खाले पुल से सढोला माजरा के रोड तक तथा सढोली से देवबन्द रोड तक पी० सी० सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री पोपीन पुत्र श्री राजपाल ग्राम कुमराडी पो० मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम गदर जुड्डा में शेशवाली मन्दिर से रजवाहे तक पी० सी० सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री सोनू पुत्र श्री रामकुमार ग्राम गदर जुड्डा पो० मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सढौली से सढौला माजरा तक पी० सी० सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री प्रमणीत पुत्र श्री किशनपाल ग्राम सढौली पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम डेलना में निजी स्टेडियम का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में” श्री दीपक सिंह पुत्र श्री कुँवरपाल सिंह ग्राम डेलना पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

### **12 बजकर 25 मिनट पर मा० उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कृष्ण नगर, प्रेमनगर, शिवपुरम व सलेमपुर में 33000 वोल्ट एवं 1100 वोल्ट की लाईन विद्युत लाइनों को अण्डर ग्राउन्ड करने के सम्बन्ध में” श्री दीपक सैनी पुत्र श्री सुरेन्द्र सैनी ग्राम सलेमपुर पो० सलेमपुर खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम दहियाकि में सिंचाई उपखण्ड द्वारा नालियों का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में” श्री प्रदीप पुत्र श्री रतन सिंह ग्राम दहियाकि पो० गुरुकुल नारसन, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम अकबरपुर झोझा में रा० प्रा० वि० का सौन्दर्यीकरण व उच्चीकरण कराने के सम्बन्ध में” श्री अरशद पुत्र श्री हुसैन अली ग्राम अकबरपुर झोझा पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम मुण्डियाकि में सिंचाई उपखण्ड द्वारा नाली का नवीनीकरण कार्य कराने के सम्बन्ध में” श्री शिव कुमार पुत्र श्री ताराचन्द ग्राम मुण्डियाकि पो० गुरुकुल, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम साबतवाली में नलकूप की समस्या के सम्बन्ध में" श्री बालेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह ग्राम साबतवाली पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम तांशीपुर में सिंचाई उपखण्ड में राजवाही नं0-05 से राजवाहें तक नाली निर्माण का कार्य कराने के सम्बन्ध में" श्री राहुल कुमार पुत्र श्री प्रेम ग्राम तांशीपुर पो0 तांशीपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम प्रेमनगर में ए0 डी0 बी0 का कार्य पूर्णरूप से पूर्ण करने के सम्बन्ध में" श्री दीपक सैनी पुत्र श्री सुरेन्द्र सैनी ग्राम सलेमपुर पो0 सलेमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के हीराहेडी में प्रकाश के मकान से विक्रम की दुकान तक 303ग4 मी0 सी0 सी0 रोड के सम्बन्ध में" श्री प्रदीप पुत्र श्री देवीचन्द्र ग्राम हीराहेडी पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम थिथकि में सिंचाई सम्बन्धित समस्या के सम्बन्ध में" श्री नवीन कर्णवाल पुत्र श्री नरेन्द्रपाल ग्राम थिथकि पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के गौरा देवी कन्या धन योजना में 1000 का आय प्रमाण पत्र मांगे जाने के बाद भी लाभ न मिलने के सम्बन्ध में" श्री सुमित कुमार पुत्र श्री सतबीर सिंह ग्राम थिथकि पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम थिथकि में राजवाहे नं0- 05 से थिथकि तक सिंचाई उपखण्ड से नाली निर्माण के सम्बन्ध में" श्री नवीन कर्णवाल पुत्र श्री नरेन्द्रपाल ग्राम थिथकि पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम भरतपुर में रा0 प्रा0 विद्यालय से समय सिंह के खेत से होती हुई सेक्टर शमशान घाट तक 500ग4 मी0 सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री जगपाल पुत्र श्री रायला ग्राम भरतपुर पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम पनिवाला में मेन चौराहा से लेकर खाले तक 600ग1.5 मी0 सी0 सी0 मी0 नाला निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री दीपक सिंह पुत्र श्री कवरपाल ग्राम डेलना पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लाठरदेवा में पानी की टंकी सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में" श्री फूल कुमार पुत्र श्री लमखान ग्राम लाठरदेवा, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लाठरदेवा हूण में ऋषिपाल के मकान से अजय के मकान तक 400ग4 मी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री आदेश पुत्र श्री मलखान ग्राम लाठरदेवा हूण, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम तांशीपुर इकबालपुर मार्ग से हिश हेडी डेलना को होते हुए झबरेड़ा इकबालपुर मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री योगेश चौधरी पुत्र श्री नरेश ग्राम डेलना, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम हीराहेडी में रा0 प्रा0 विद्यालय के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री अरविन्द पुत्र श्री मांगेराम ग्राम हीराहेडी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम थीथकी कवादपुर में नव निर्माण रविदास मंदिर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री नवीन पुत्र श्री नरेन्द्रपाल ग्राम थीथकी, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सढौली में मैन सड़क पर संजय के खेत की ओर पुलिया निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजकुमार ग्राम सढौली पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम धर्मपुर में इकबालपुर तांशीपुर मार्ग से धर्मपुर ग्राम तक 1500ग3.5 मी0 पी0 सी0 सड़क का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री सतीश पुत्र श्री हरपाल ग्राम धर्मपुर, पो0 इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम झबीरण में रा0 प्रा0 विद्यालय का उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री सुधीर पुत्र श्री फुल सिंह ग्राम झबीरण, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम झबीरण में पानी की टंकी लगवाने के सम्बन्ध में" श्री धीर सिंह पुत्र श्री चौहल सिंह ग्राम झबीरण, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लाठरदेवा हूण में रविदास मंदिर से विनोद के मकान तक 1400ग4 मी० सी० सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री फूल कुमार पुत्र श्री शेर सिंह ग्राम लाठरदेवा हूण, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम अकबरपुर फाजिलपुर में मेन अड्डे से लेकर सतेन्द्र के घर की ओर पी0 सी0 सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री प्रदीप त्यागी पुत्र श्री महेन्द्र पाल ग्राम अकबरपुर फाजिलपुर पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम खुन्डेवाली में अकबरपुर गैस एजैन्सी से खुन्डेवाली ग्राम तक 1.5 कि०मी० पी० सी० सड़क

निर्माण के सम्बन्ध में" श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बून्दीराम ग्राम खुन्डेवाली पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम तांशीपुर में इकबालपुर तांशीपुर मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अरविन्द ग्राम तांशीपुर, पो0 खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम खरखड़ी दयाला में सिंचाई उपखण्ड से 55 कि०मी० ट्यूबवैल से तेजपाल सिंह के खेत तक सी० सी० नाली निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री विजयपाल पुत्र श्री दिलेहराम ग्राम खरखड़ी पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कोटवाल से लाठरदेवा हूण को होते हुए आसफ नगर झाल नहर की पटरी का निर्माण पी० सी० रोड के सम्बन्ध में" श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री रूप चन्द ग्राम कोटवाल पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम दहियाकि में पानी की टंकी के सम्बन्ध में" श्री प्रदीप पुत्र श्री ग्यान सिंह ग्राम दहियाकि, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम शिवपुरम पश्चिम में सर्वन्त स्कूल से पहले की ओर पण्डित गंगा प्रसाद के मकान तक सी० सी० सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री दीपक सैनी पुत्र श्री सुरेन्द्र सैनी ग्राम शिवपुरम पश्चिम, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सुसाडा में सोमपाल के खेत से करम सिंह के खेत तक 01 कि०मी० लिंक रोड निर्माण के सम्बन्ध में" श्री चरण पुत्र श्री सुलेख चन्द ग्राम सुसाडा, पो० सरस्वती नगर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम इकबालपुर रोड में मूलेवाला तक पी० सी० सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रणधीर पुत्र श्री जयसिंह ग्राम मूलेवाला गांव, पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कोटवाल से बास्वाखेडी की ओर पी० सी० सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में" श्री तेजपाल ग्राम कोटवाल, पो० खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम दहियाकि में नसीरपुर रास्ते से माता पर से जी० टी० रोड तक लिंक रोड निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रदीप पुत्र श्री रतन सिंह ग्राम दहियाकि, पो० गुरुकुल नारसन, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम नोबतपुर मुलेवाला में हिराहेडी मेन रोड से बल्लू प्रधान के ट्यूबवैल तक सी० सी० सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री ऋषिपाल पुत्र श्री मोहर सिंह ग्राम नौबतपुर मूलेवाला, पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम हिराहेडी में शमशान घाट से लेकर फाजलपुर रोड़ तक सी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रदीप पुत्र श्री देवीचन्द ग्राम हिराहेडी पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम हिराहेडी से भुल्लेवाला सेक्टर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री ओमपाल पुत्र श्री सुखपाल ग्राम हिराहेडी, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सैदपुरा में भूमिया खेडा से राजे खेत तक सी0 सी0 सड़क के सम्बन्ध में" श्री तेजपाल पुत्र श्री रणजीत ग्राम सैदापुरा पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम हेश्यामपुर मे आन्तरिक गलियों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री राहुल पुत्र श्री विनोद ग्राम हेश्यामपुर पो0 शेरपुर खेलमऊ, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लजनौता में बारातघर से गुरुकुल रोड तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री प्रवेन्द्र पुत्र श्री नेत्रपाल ग्राम लखनौता, पो0 मगदुमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम तांशीपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री राहुल पुत्र श्री प्रेम ग्राम तांशीपुर पो0 तांशीपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लखनौता में आंगनबाडी केन्द्र से शेरपुर रोड तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री प्रवेन्द्र पुत्र श्री नेत्रपाल ग्राम लखनौता पो0 मक्दुमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम झबरेडी कला से हनुमान मंदिर तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री राजबल पुत्र श्री देवी शाह ग्राम झबरेडी कला, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सोहलपुर गाडा में शमशान घाट की चारदीवारी का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री सचिन पुत्र श्री शरमानन्द ग्राम सोहलपुर गाड़ा पो0 नन्हेडा अन्नतपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में मिट्टीबेड़ी-परवल मार्ग की चौडीकरण के सम्बन्ध में" श्री पूर्णानन्द पैन्थूली पुत्र स्व0 श्री सुरेशानन्द पैन्थूली जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कोटवाल आलमपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री सुशील पुत्र श्री विपाल ग्राम कोटवाल आलमपुर, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सहदेव सिंह पुण्डेर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में ढाकोवाली रोड़ से द्रेड़ नदी पर आने वाले रास्ते पर आवागमन हेतु पुल की स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री काशीराम पुत्र स्व0 श्री गुरियाराम जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सहदेव सिंह पुण्डेर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर ग्राम शंकरपुर के अन्तर्गत बालाजी मन्दिर के पास चोरखाल पर आने वाले मार्ग पर आवागमन हेतु पुल की स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री राजकमल रावत पुत्र श्री भज्जू सिंह रावत जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सहदेव सिंह पुण्डेर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर ग्राम पंचायत कोटरा, कल्याणपुर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसणी के उच्चीकरण हेतु स्वीकृति के निर्देश देने के सम्बन्ध में" श्री राजपाल सिंह पंवार पुत्र श्री मोहन सिंह पंवार जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सहदेव सिंह पुण्डेर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर ग्राम पंचायत शेरपुर के अन्तर्गत हिमाचली बस्ती पर आने वाले रास्ते पर काजुआ व मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति के निर्देश देने के सम्बन्ध में" श्रीमती मीना देवी पति श्री कुलतार सिंह, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सहदेव सिंह पुण्डेर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर ग्राम पंचायत मिसरासपट्टी के अन्तर्गत उक्त खाले पर झूला पुल स्वीकृति के निर्देश देने के सम्बन्ध में" श्री वीर सिंह रावत पुत्र श्री भाव सिंह जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम पनियाली में बारात घर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री बिजेन्द्र पुत्र श्री चन्दरपाल ग्राम पनियाली पो0 पनियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम भगतवाली में दिलेराम की चरखी से मोल्हड की ट्यूबवैल की ओर मैन सड़क सी0 सी0 निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री सोनु पुत्र श्री सतपाल ग्राम भगतवाली पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम शेरपुर खेलमऊ में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में" श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री इकबाल सिंह ग्राम शेरपुर पो0 खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम शेरपुर खेलमऊ में सुदेश चौ0 के मकान से ट्रांसफार्मर की ओर सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री मनोज पुत्र श्री इकबाल सिंह ग्राम वे पो0 शेरपुर खेलमऊ जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।



श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कमेलपुर में वाल्मिकी बस्ती से शिव मन्दिर तक नाला निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री अनुज कुमार पुत्र श्री पप्पु सिंह ग्राम कमेलपुर पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम इकबालपुर लाठरदेवा मार्ग से खाताखेड़ी तक लिंक रोड पी0 सी0 सड़क का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री केवल पुत्र श्री रमेश ग्राम खाताखेड़ी झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम शेरपुर खेलमऊ में विजेन्द्र के मकान से सोम प्रकाश के मकान की ओर सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री विजेद्र पुत्र श्री नैन सिंह ग्राम शेरपुर पो0 खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सुसाडी खुर्द गोकलपुर में देवबन्द मार्ग से रतन देवी के खेत से बन्दरखुड़डा सम्पर्क मार्ग तक सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री शिवकुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र ग्राम सुसाडी खुर्द पो0 लखनौता, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम मतलबपुर में गोगा महाडी का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री सचिन पुत्र श्री विजय सिंह ग्राम मतलबपुर पो0 रुड़की, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम पाडली गेन्दा में रेलवे फाटक से इनाम के मकान की ओर सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री सकील पुत्र श्री मुस्तफा ग्राम मतलबपुर पो0 रुड़की, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम माधोपुर में शराफत के घर से सोहलपुर सरकडी तक सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री जीतेन्द्र पुत्र श्री राम निवास ग्राम माधोपुर पो0 सालियर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत ग्राम जमालपुर खुर्द में मेन सड़क से शमशान घाट तक सड़क का नवनिर्माण एवं नाले पर स्थित मुख्य पुलिया का चौड़ीकरण कार्य के सम्बन्ध में" श्री लाल सिंह पुत्र श्री मोल्हड सिंह ग्राम जमालपुर खुर्द जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत पथरी पावर हाउस बहादुराबाद से आगे नहर के किनारे कि क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में" श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री सुरवीर ग्राम सांईधाम कालोनी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री नवीन चन्द्र दुम्का, मा0 सदस्य ने पूर्व में दी गई अपनी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष से विनिश्चय करने का अनुरोध किया। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि वे इसे दिखवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 19 सितम्बर, 2018 की बैठक में दिनांक 20 सितम्बर से दिनांक 24 सितम्बर, 2018 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :-

सितम्बर, 2018

20 (गुरुवार) विधायी कार्य:—

1. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 के विचार एवं पारण।  
(15 मिनट)
2. उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018 के विचार एवं पारण।  
(30 मिनट)
3. उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) विधेयक, 2018 के विचार एवं पारण।  
(15 मिनट)

21 शुक्रवार मोहर्रम अवकाश।

22 शनिवार अवकाश।

23 रविवार अवकाश।

24 (सोमवार) 1. विधायी कार्य:—

- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2. असरकारी दिवस (आधा दिन)

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-

1. श्री हरबंस कूपर, “यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु “राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।”
  2. श्री प्रीतम सिंह पंवार “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुननिर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।”
  3. श्री धन सिंह नेगी, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।”
  4. श्री देशराज कर्णवाल, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।”
1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:—

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव/तोकों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।”

2. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य शराब व व्यसन मुक्त हो तभी देव भूमि की कल्पना साकार होगी।”

3. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया “बाल गंगा विकास खण्ड” बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।”

4. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।”

5. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“देहरादून-मसूरी-सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग को नगुण तक तथा देहरादून-मसूरी-कैम्टीफॉल-यमुनापुल- नौगांव-बड़कोट-जानकीचट्टी मोटर मार्ग को ऑलवैदर रोड परियोजना में सम्मिलित किये जाये।”

6. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं व दैवीय आपदा से मारे गये लोगों के आश्रितों को एकमुश्त एक समान धनराशि का प्राविधान होना चाहिए।”

7. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैंक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियों की जाय”।

8. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय”।

9. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय”।

10. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे हैं, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय”।

11. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय”।

**नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण:-**

1. श्रीमती ममता राकेश “यह सदन सरकार प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम पर “डा० भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।”

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार “यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।”

4. श्री देशराज कर्णवाल “यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।”

4. श्री मुन्ना सिंह चौहान, “यह सदन प्रस्ताव करता है कि सार्वजनिक स्थलों पर विशेष रूप से सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के बारे में सरकार द्वारा स्पष्ट व्यवस्था बनायी जाय, जिससे कि पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।”

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:-

“गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति प्रदेश की सभी नदियों का स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय, एवं नदियों में निरन्तर प्रवाह बनाये रखने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाय।”

2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में अन्य प्रदेशों की भांति उत्तराखण्ड के निवासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों को यह यात्रा निःशुल्क कराने पर विचार किया जाय।”

3. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:-

“यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जायें।”

4. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।”

5. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।”

6. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।”

#### नियम-54 की सूचनायें:-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:-

“प्रदेश में विशेषतः उत्तर प्रदेश की भांति किसानों का ऋण माँफ कर दिया जाय।”

2. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:-

“प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।”

3. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:-

“प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।”

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य-मंत्रणा की सिफारिश, जिसकी सूचना मा10 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सदन की कार्यवाही 01:00 बजे भोजनावकाश के लिये 03:00 बजे तक स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 3:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री करन माहरा, मा0 सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कल दिनांक 19.09.2018 को उनके द्वारा नियम-58 के अन्तर्गत जनरल हणूत सिंह की समाधि को नगर निगम, देहरादून द्वारा सील कर दिये जाने के सम्बन्ध में ग्राह्यता पर सूचना प्रस्तुत की गयी थी जिस पर मा0 मंत्री जी ने समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था, परन्तु वे सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि कल से ही वहां पर कतिपय संस्था के लोगों द्वारा दीवार बना कर जमीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसका परीक्षण करा लिया जाये।

**श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।**

प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कार्मिको को नियमित न किये जाने के संबंध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत आने वाले पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहे लोहारी गाँव के परिवारों को जीवन गढ़ स्थित रेशम फार्म की भूमि पर विस्थापित किये जाने सम्बन्ध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के ग्राम खुब्बनपुर में डा0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खण्डित किये जाने के संबंध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में प्राधिकरण लागू कर दिये जाने से इसे मानकों के अनुसार सड़कों के मध्य से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी निर्माण कार्य न कराये जाने की बाध्यता के संबंध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल ने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनप्रतिनिधियों को गरिमा के अनुकूल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सम्मान न दिये जाने के संबंध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री ने इस संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों से सदन को अवगत कराया। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया और कहा कि यह सूचना अत्यन्त गंभीर एवं अविलम्बनीय महत्व की सूचना है। संसदीय लोकतन्त्र में सामान्य निर्वाचन के माध्यम से चुनकर आए जन प्रतिनिधियों का स्थान अद्वितीय है।

वे सामूहिक रूप से विधान सभा का गठन करते हैं एवं बहुमत प्रणाली के आधार पर यह विधायी सभा ही सरकार की शक्ति का स्रोत है। किसी जनप्रतिनिधि का सम्मान मात्र व्यक्ति विषेश का ना होकर उस जनमानस के प्रति सम्मान है जिसका प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में वे करते हैं। शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्य में सुलभता एवं सुचारूपन हेतु जो शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं उनका स्रोत भी विधायिका एवं उसके द्वारा पारित विधि, नियम, विनियमन आदि ही हैं। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मा0 सदस्यों के प्रति असम्मान सहन नहीं किया जा सकता।

इस विषय में पूर्व में भी मा0 सदस्यों द्वारा इस सम्मानित सदन में विषय उठाया गया है तथा पीठ से इस सम्बन्ध में यथोचित प्रोटोकॉल और सम्मान दिये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं परन्तु इसके उपरान्त भी इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति अधिकारियों/कर्मचारियों की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति असंवेदनशीलता एवं उदासीनता तो परिलक्षित करता ही है परन्तु इससे प्रदेश की सर्वोच्च पीठ द्वारा जनहित के कार्यों के लिए उन्हें सौंपी गयी शक्तियों का अतिक्रमण भी दिखाई देता है।

संसदीय लोकतंत्र में इस प्रकार के आचरण का कोई स्थान नहीं है। इस सम्मानित सभा के संरक्षण के मेरे संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन तथा सदन तथा उसके सदस्यों के सम्मान की आवश्यकता के दृष्टीगत मैं सरकार तथा उसके अधिकारियों को निर्देशित करता हूँ कि सदन तथा

उसके सदस्यों को यथोचित प्रोटोकॉल एवं सम्मान मिले। इसके लिये सरकार एक समेकित संहिता/नियमावली प्रख्यापित करें जिससे कि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में आवश्यक निर्देश निर्गत कर उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

मैं आशा करता हूँ कि पीठ के इन निर्देशों का कड़ाई से पालन होगा क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में अपरोक्ष रूप से जनता सर्वोपरि होती है एवं यह सदन इस सर्वोच्चता को बनाये रखने के लिये हर संभव कदम उठायेगी।

नियम-310 की नियम-58 में परिवर्तित प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की सूचना पर मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्रीमती ममता राकेश, श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्री फुरकान अहमद ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

मा0 सदस्य श्री राजकुमार ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुआ कहा कि सदन में अवस्थित माइक की ऊंचाई कम होने से मा0 सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और झुक कर बोलना पड़ता है। इन्हें बदला जाये या इनकी ऊंचाई बढ़ाई जाये। इस पर श्री अध्यक्ष ने विनिश्चय दिया कि सदन के साउण्ड सिस्टम को अपग्रेड करने पर विचार किया जायेगा।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-31 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-10 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 में कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से मा0 सदस्य श्री राम सिंह कैंडा की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ग्राम सभा अलचौना में कलसा नदी के नालों से पाण्डे छोड़ क्षेत्र में उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में को नियम-53 के अर्न्तगत वक्तव्य के लिये तथा

मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अर्न्तगत गैरसैंण, आदिबद्री तथा कर्णप्रयाग में 108 एम्बुलेंस सेवा में चल रही गाड़ियों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम-53 के अर्न्तगत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत आयी भीषण प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को मुआवजा/आपदा कार्यों में हो रहे विलम्ब से व्याप्त जनाक्रोश के सम्बन्ध में, श्रीमती मुन्नी देवी शाह, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, जो पढा हुआ माना गया।

जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा सलगडा तथा हरिनगर, विकास खण्ड गरूड में विगत समय से गुलदार द्वारा बच्चों के शिकार बनने से ग्रामीणों में वन विभाग के अधिकारियों के प्रति आक्रोश के सम्बन्ध में, श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया, जो पढा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 05 बजकर 20 मिनट पर सोमवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2018 पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र  
सचिव,  
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल  
अध्यक्ष,  
विधान सभा।